

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज <u>विष्णु सिंह</u> बनाम <u>राजेश्वरी सिंह</u> मु.नं. <u>24/24</u> 7-2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
----------------	---	--

श्रेष्ठ अधिवक्ता सं. 1 व 3 की तलकी जरिये Reply AD तलवाना सम्मान खरीपते सहित पेश करें। प्रजापती वास्ते तलकी दिनांक 2-1-2025 को पेश हो चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

2-1-25 प्रजापती पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। प्रजापती पुनर्निर्वाह दिनांक 31-1-25 को पेश हो चुका है।

31-1-25 प्रजापती पेश हुई। वकील माथी इस्तिफा अधिवक्ता सं. 01 व 03 के तलवाना सम्मान अग्रिम। वकील माथी को सिद्धांत ही जानी है कि अधिवक्ता सं. 01 व 03 की तलकी जरिये Reply AD तलवाना सम्मान आन्तरिक रूप से पेश करें। प्रजापती वास्ते तलकी दिनांक 21-2-25 को पेश हो चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

21-2-25 प्रजापती पेश हुई। प्रशासन को कार-2 अग्रिम दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। प्रजापती लम्बे समय से तलकी में लपेटा है। माथी के कार-2 निर्देशों के बावजूद भी माथी द्वारा प्रजापती सं. 01 व 03 की तलकी तलवाना सम्मान पेश नहीं किया जा रहा है। तथा माथी द्वारा निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि माथी प्रजापती में कोई कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए प्रजापती प्रशासन

--- जारी ---

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजजबनाम..... मु.नं.	नम्बर व तारी अहकाम जो इस हु की तामील मेंजारी हु
	<p>ही अदम टाजरी व अदम पैली में कार्रवाही की जाली है। पत्रावली में दिनांक 13.5.2024 को जारी अन्तरिम अर्थात् निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली के अन्त शुभाद लेख डायलिस इफ्तु है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)</p>	